केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/287 दिनांक: 12.07.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00284
CICOM/R/2016/00607

अपीलकर्ता : डा0 सत्य विजय सिंह,
सी/130/441, शाहपुर, गीता वाटिका,
गोरखपुर-273006, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 12.07.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.04.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.06.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	151750/05.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	394/06.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बिंदु सं. 1 के तहत एक द्वितीय अपील आदेश से संबंधित श्री विजय शर्मा, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त को लिखे गए पत्र एवं बिंदु सं. 2 के तहत दाखिल किए गए अन्य 9 द्वितीय अपीलों पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना मांगी थी ।

2. अपीलकर्ता के प्रस्तुत प्रथम अपील जो कि कार्बन कॉपी है के माध्यम से अभियोग लगाया है कि बिंदु सं. 1 तथा बिंदु सं. 2 के (vii) के संदर्भ में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिंदु सं. 1 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा जो पत्र की प्रतिलिपि संलग्न किया गया है, वह साफ नही है, उस प्रतिलिपि में उल्लिखित द्वितीय अपील सं. स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा रहा है, अत: बिंदु सं. 1 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है तथा बिंदु सं. 2 के तहत श्री दिनेश कुमार, तातकलीन उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई सूचना में बिंदु सं. 2 के (vii) में उल्लिखित दिनांक 14.12.2015 के अपील का कोई जिक्र नहीं है, बिंदु सं. 2 के (vii) के अतिरिक्त अन्य 8 द्वितीय अपीलों का केस फाइल न. बता दिया गया है । इन अपीलों की सुनवाई निर्धारित होने पर संबंधित रजिस्ट्री द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया जाएगा तथा श्री यू.सी. जोशी, वर्तमान उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बिंदु सं. 2 के (vii) के संदर्भ में वांछित सूचना इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए । साथ ही अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी पत्राचार करें उसमें लिखावट स्पष्ट हो एवं कार्बन कॉपी का इस्तेमाल न करें, ताकि साफ साफ पढ़ा जा सके ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि : 15/7/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. ~~श्री यू.सी. जोशी,~~ उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री) व जन सूचना अधिकारी, , केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
15 JUL 2016
Initials..........

15/7/16

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
16 JUL 2016
D. No..........